जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2016/डी–1668 दिनांकः– 22/7/2016

श्री महेश गुप्ता श्रीमती निशा गुप्ता,
श्री संत कृष्णा स्वामी श्री चन्द गुप्ता,
श्री अनुराग मोदी एवं श्री आशीष मोदी,
फ्लैट संख्या 301, कोरल एन्कलेव, प्लॉट नं. 23,
स्कीम नं. 8, महादेव नगर, वैशाली नगर, जयपुर।

विषयः– पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 41, 42, 43, एवं भूखण्ड संख्या 46, 47, योजना स्कीम नम्बर 8, (महाराजा गोपालपुरा गृ.नि.स.स.लि.), जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2016 के संदर्भ में जो प्रस्ताव पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 41, 42, 43, एवं भूखण्ड संख्या 46, 47, योजना स्कीम नम्बर 8, (महाराजा गोपालपुरा गृ.नि.स.स.लि.), जयपुर में स्थित भूखण्ड (1581.87 वर्गमीटर क्षेत्रफल) पर 29.95 मीटर ऊँचाई (बेसमेन्ट–1 + बेसमेन्ट–2 + स्टिल्ट +9 मंजिल) के प्रस्तावित आवासीय भवन के संशोधित मानचित्र भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 181वीं बैठक दिनांक 27.04.2016 को प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 181वीं बैठक दिनांक 27.04.2016 को निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ दी जाती हैः–

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक 21.06.2020 (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति क्रमांक AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2015/186/2927-30 दिनांक 22.06.2015 के अनुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंधन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन–07 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जोन 07 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनेयम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिडकियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें तथा इसकी सूचना संबंधित उपायुक्त जोन को देगा।
15. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।

16. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
17. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
18. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) रखें जावें तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।
19. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
21. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
24. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
25. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (08 मानचित्र)

भवदीय

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–07, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन–07, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. उप नगर नियोजक–बीपीसी (बी.पी.), जविप्रा, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

TOTAL PLOT AREA CALCULATION

01:- TOTAL PLOT AREA = 1581.42 Sq.Mt.
02:- PERMISSIBLE F.A.R.= PLOT AREA X 2.25=1581.42X2.25=3558.19Sq.Mt.
03:- Permissible 15% Circulation Area Free From F.A.R. =178.21 Sq.Mt.
04:- Consumed Circulation Area = 75.60 Sq.Mt.
05:- Permissible 3% Store Area Free From F.A.R. = 35.64 Sq.Mt.
06:- Consumed Store Area = 33.12 Sq.Mt.
07:- Permissible 7% Service Area Free From F.A.R. = 83.16 Sq.Mt.
08:- Consumed Service Area = 23.13 Sq.Mt.
09:- Permissible 20% Club Area Free From F.A.R.of stilt floor parking area =67.71 Sq.Mt.
10:- Consumed Club Area = 67.71Sq.Mt.
11:- Consumed F.A.R. = 1188.10 / 1581.42 = 0.751
13:- PERMISSIBLE GROUND COVERAGE :- WITH IN SETBACK
14:- ACHIEVED GROUND COVERAGE :- WITH IN SETBACK
15:- PERMISSIBLE HEIGHT = STILT +27.00MT.
16:- ACHIEVED HEIGHT = 12.55 MT.

PARKING CALCULATION

17:- TOTAL REQUIRED PARKING :-
TOTAL RESIDENTIAL AREA REQUIRED PARKING :-

$$= \frac{\text{CONSUMED F.A.R.}}{75} = \frac{1188.10}{75} = 15.84 \text{ E.C.U.}$$

18:- ADD 25% VISITORS PARKING of 17 :- 15.84 + (15.84/4)
= 19.80 E.C.U. OR SAY 20.00 E.C.U.

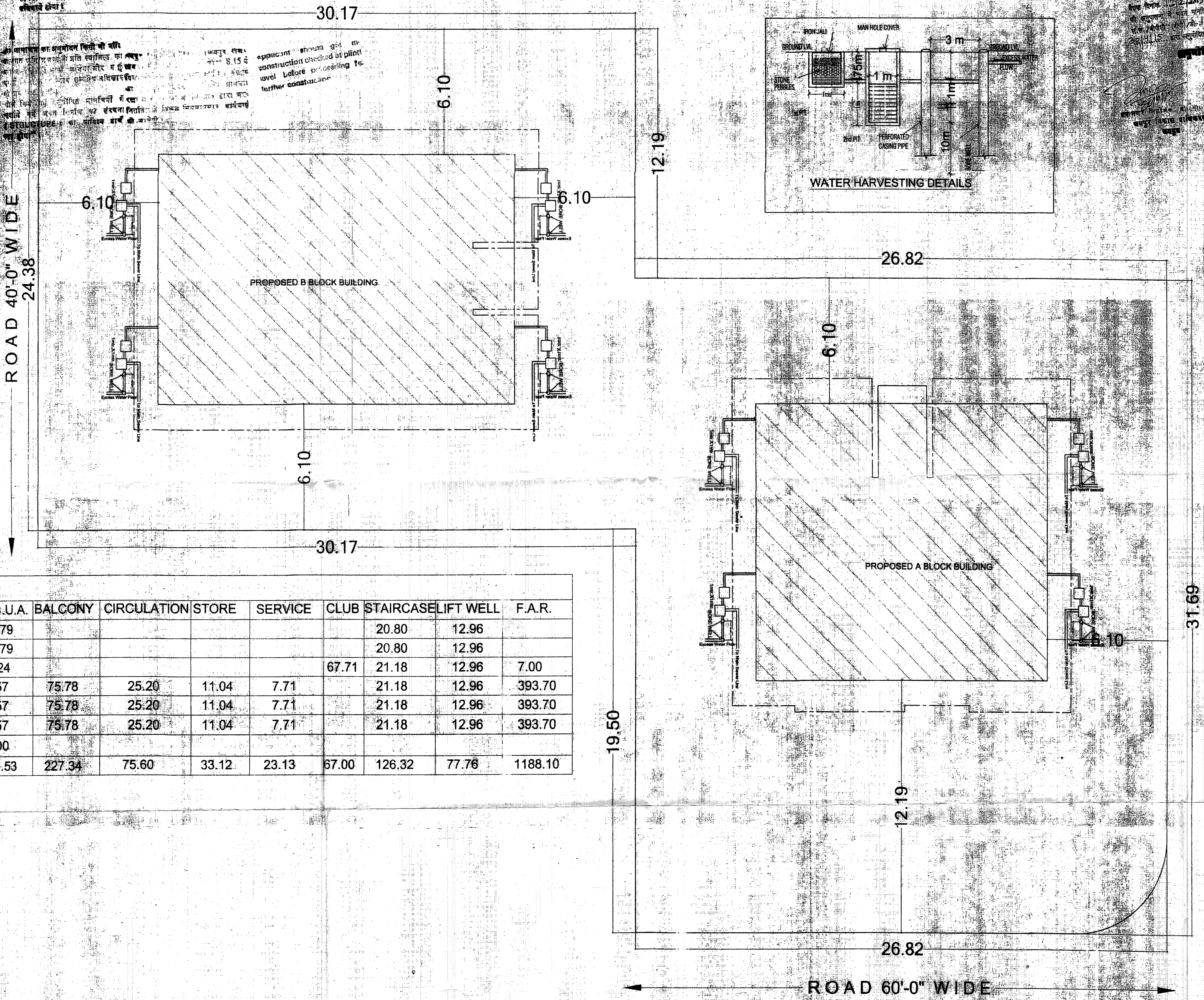

AREA CALCULATION (Sq.Mt.)

S.No.	FLOOR	BLOCK AREA	CUT OUT	RAMP	Gross B.U.A.	BALCONY	CIRCULATION	STORE	SERVICE	CLUB	STAIRCASE	LIFT WELL	F.A.R.
01.	L.BASEMENT	755.16		271.33	1026.79						20.80	12.96	
02.	U.BASEMENT	755.16		271.33	1026.79						20.80	12.96	
03.	STILT	415.24			415.24					67.71	21.18	12.96	7.00
04.	FIRST	564.21	16.64		547.57	75.78	25.20	11.04	7.71		21.18	12.96	393.70
05.	SECOND	564.21	16.64		547.57	75.78	25.20	11.04	7.71		21.18	12.96	393.70
06.	THIRD	564.21	16.64		547.57	75.78	25.20	11.04	7.71		21.18	12.96	393.70
07.	TERRACE	54.00			54.00								
	TOTAL	3672.19	49.92	542.66	4165.53	227.34	75.60	33.12	23.13	67.00	126.32	77.76	1188.10

TOTAL PARKING PROVIDED

FLOOR	CAR PARKING	SCOOTER PARKING	TOTAL E.C.U.
L.BASEMENT	14.00 E.C.U.	31.00 Scooter	24.33 E.C.U.
U.BASEMENT	13.00 E.C.U.	29.00 Scooter	22.66 E.C.U.
STILT	7.00 E.C.U.	20.00 Scooter	13.66 E.C.U.
OPEN	10.00 E.C.U.		10.00 E.C.U.
TOTAL	44.00 E.C.U.	80.00 Scooter	69.66 E.C.U.

SHEET NO.-01
SUBMISSION DRAWING
SITE PLAN

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
SITE PLAN

DATE:-
NORTH:- N
SCALE:- 1= 100

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENCE BUILDING AT PLOT NO.41,41,4?,45 & 46, RAJGOPALPURA AT JAIPUR.

ARCHITECTS:-
Sunil Suresh Chandar Khajja
Architect
CA/2013/58772

OWNER | ARCHITECTS

Mahesh gupta

SHEET NO. - 02

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
LOWER BASEMENT PLAN

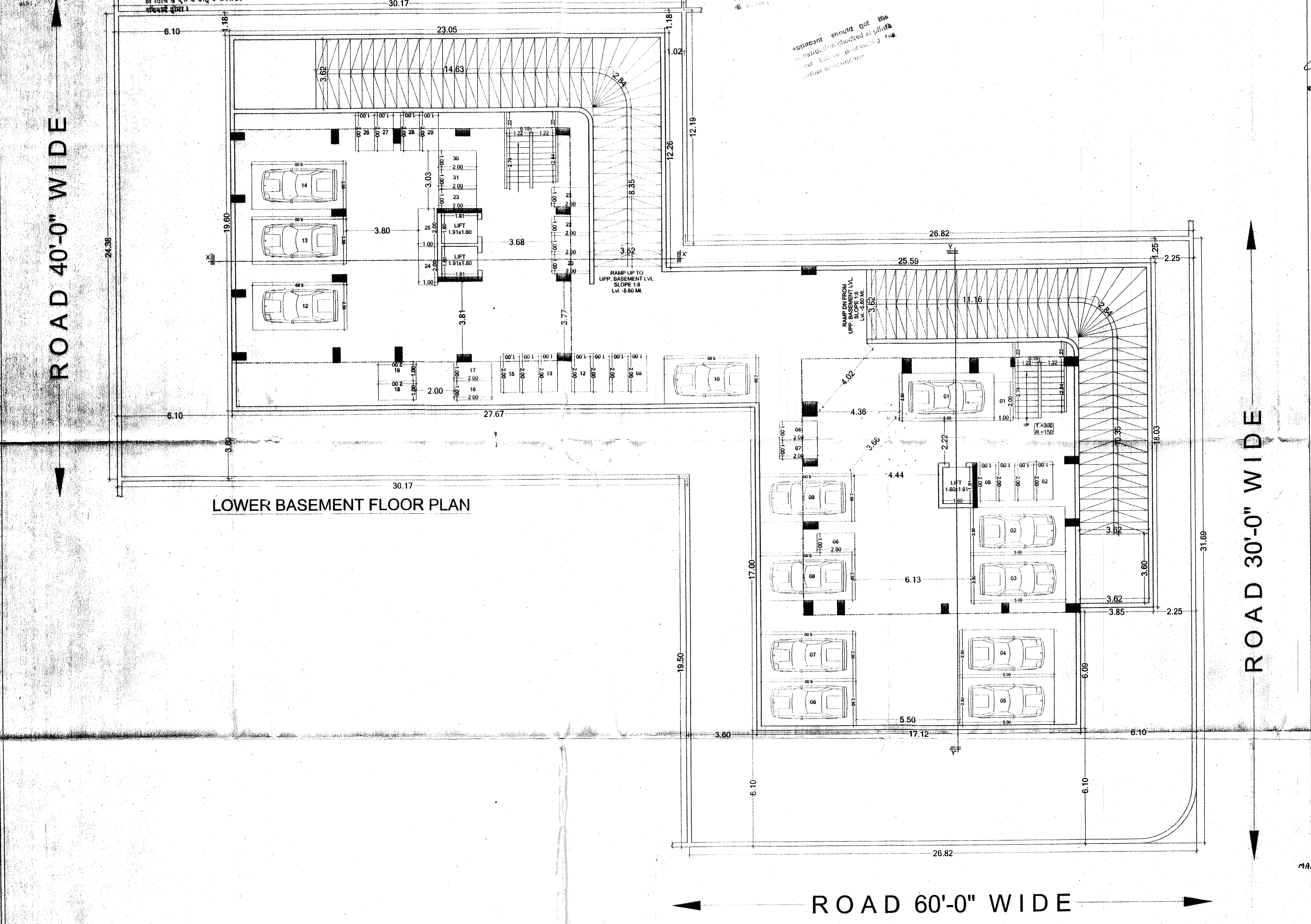

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
LOWER BASEMENT PLAN

DATE :- 21-07-2016	NORTH:-
SCALE :- 1 = 100	
DEALT :- L.C.SHARMA	

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT OF PLOT No.- 41, 42, 43, 46 & 47, MAH RAJGOPALPURA, AT JAIPUR (Scheme No. 8)

ARCHITECTS:-

Sunil Suresh Chandar Khajja
Architect
CA/2015/58772

OWNER | ARCHITECTS

SHEET NO. - 03

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
UPPER BASEMENT PLAN

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ...181....वीं बैठक दिनांक 27/4/2016 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/ स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-1668 दिनांक 29/7/2016 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

उप नगर नियोजक (बी0 पी0 सी0)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding further construction

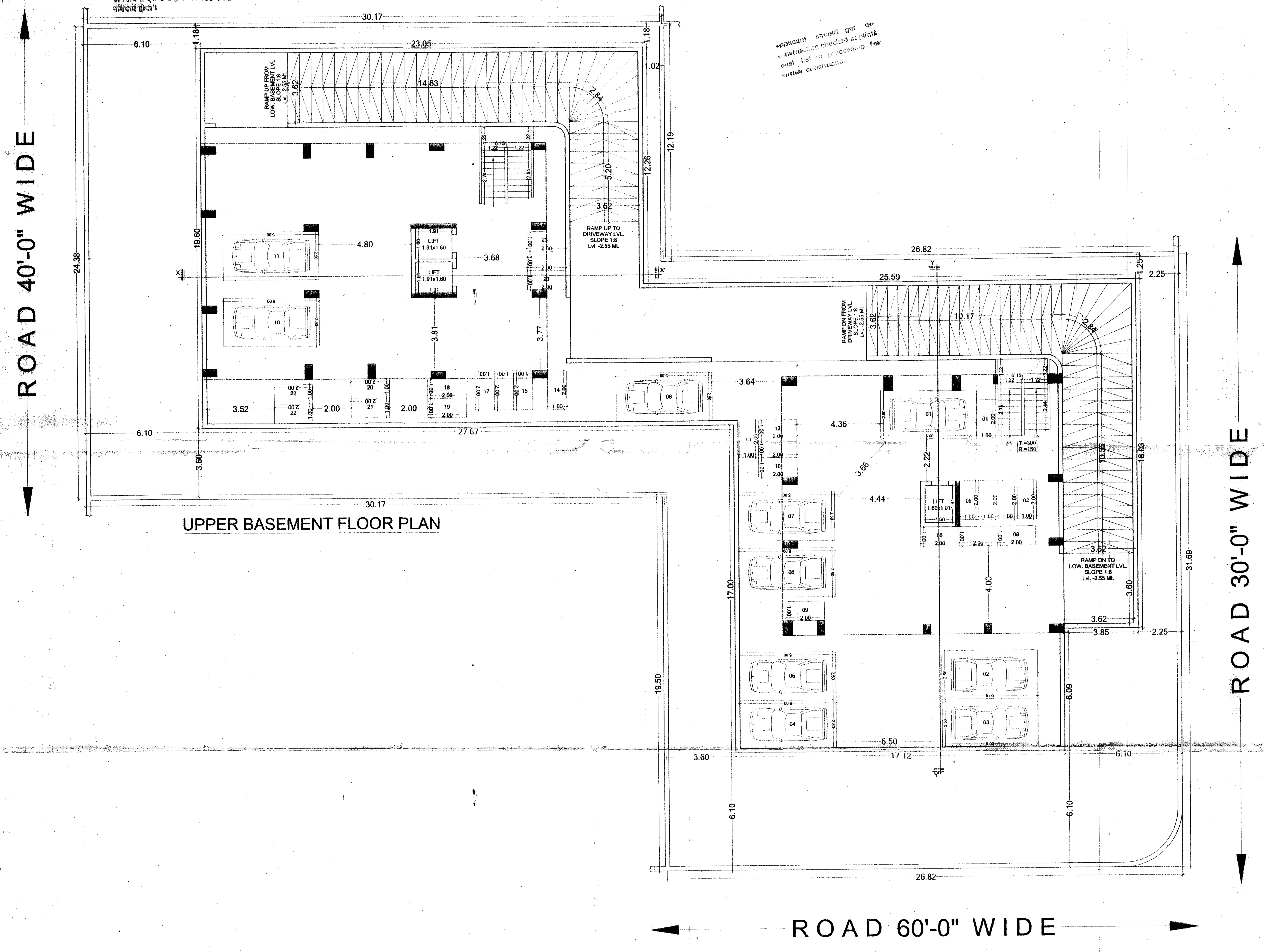

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
UPPER BASEMENT PLAN

DATE :- 21-07-2016	NORTH:-
SCALE :- 1 = 100	
DEALT :- L.C.SHARMA	

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT OF PLOT No.- 41, 42, 43, ~~46~~ & ~~45~~ 46, 47
MAH RAJGOPALPURA, AT JAIPUR
(Scheme No. 8.)

ARCHITECTS:-

Suresh Chandar Khajja
Architect
CA/2013/58772

OWNER | ARCHITECTS

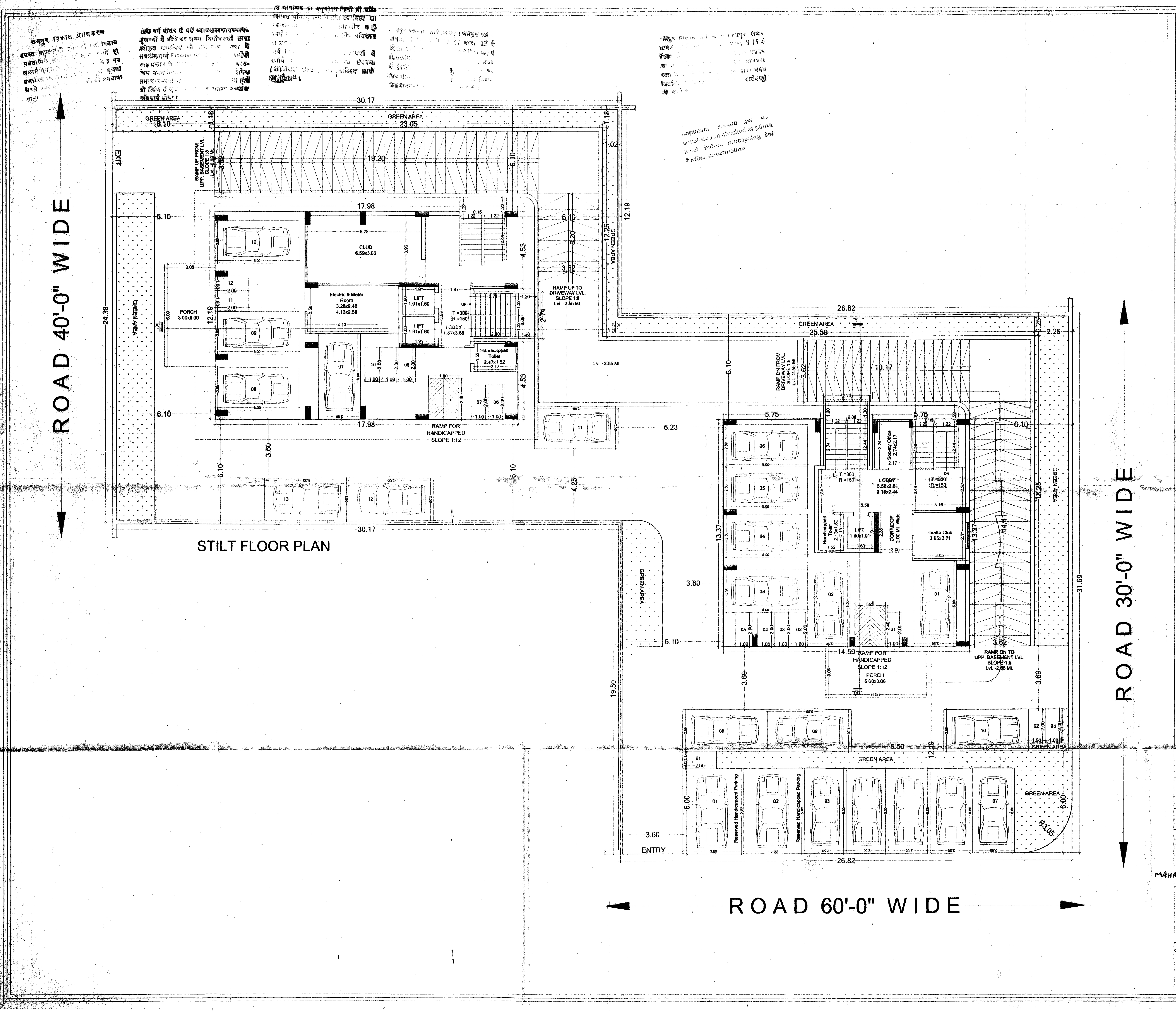

SHEET NO. - 04

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
STILT FLOOR PLAN

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
STILT FLOOR PLAN

DATE :- 21-07-2016
SCALE :- 1 = 100
DEALT :- L.C.SHARMA
NORTH:-

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
OF PLOT No.- 41, 42, 43, 4_ & 4_, 47
MAHA RAJGOPALPURA, AT JAIPUR
(Scheme No. 8)

ARCHITECTS:-

Sunil Shresth Chandan Khajja
Architect

OWNER | ARCHITECTS

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding to further construction

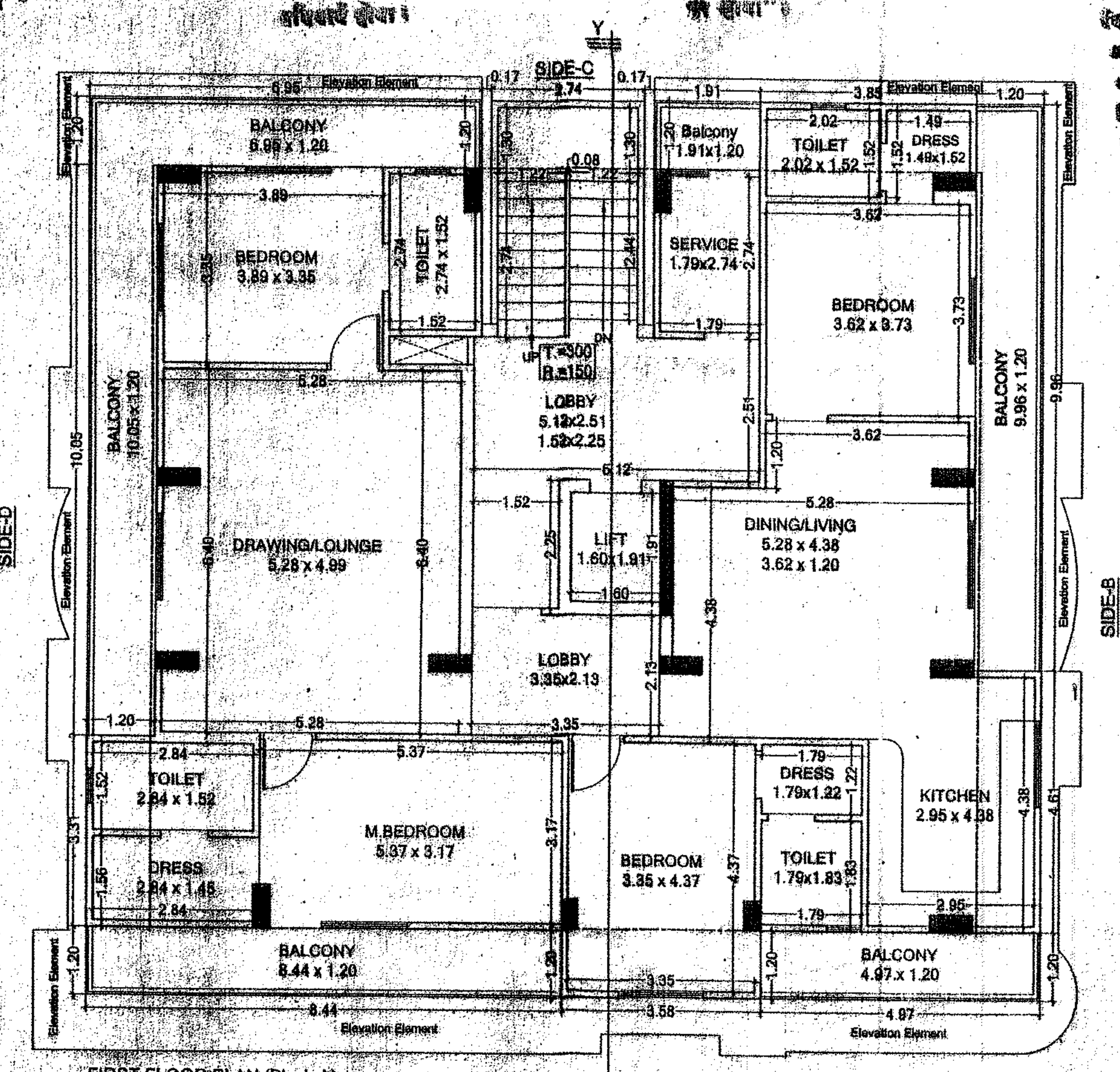

FIRST FLOOR PLAN (Block-A)

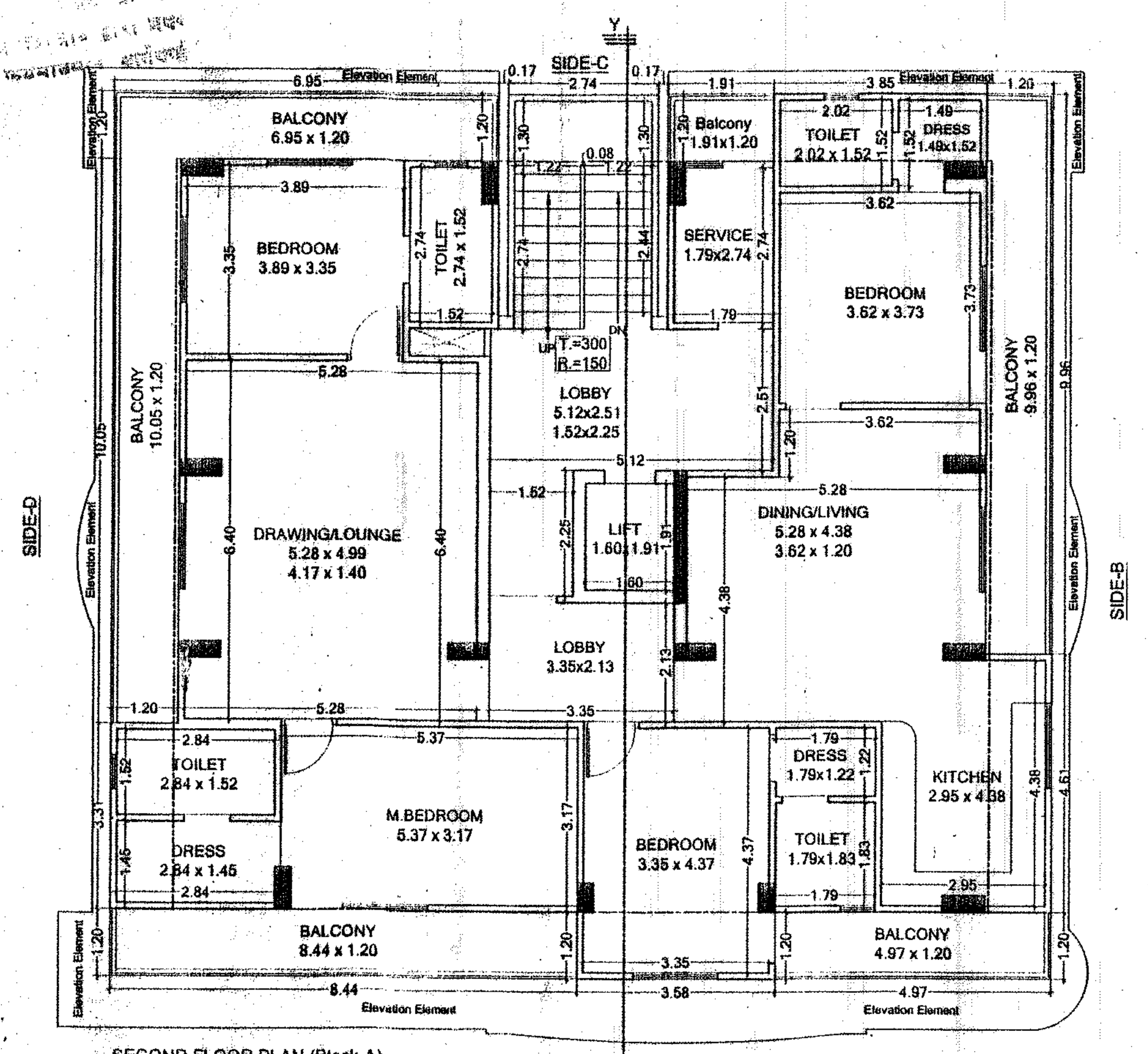

SECOND FLOOR PLAN (Block-A)

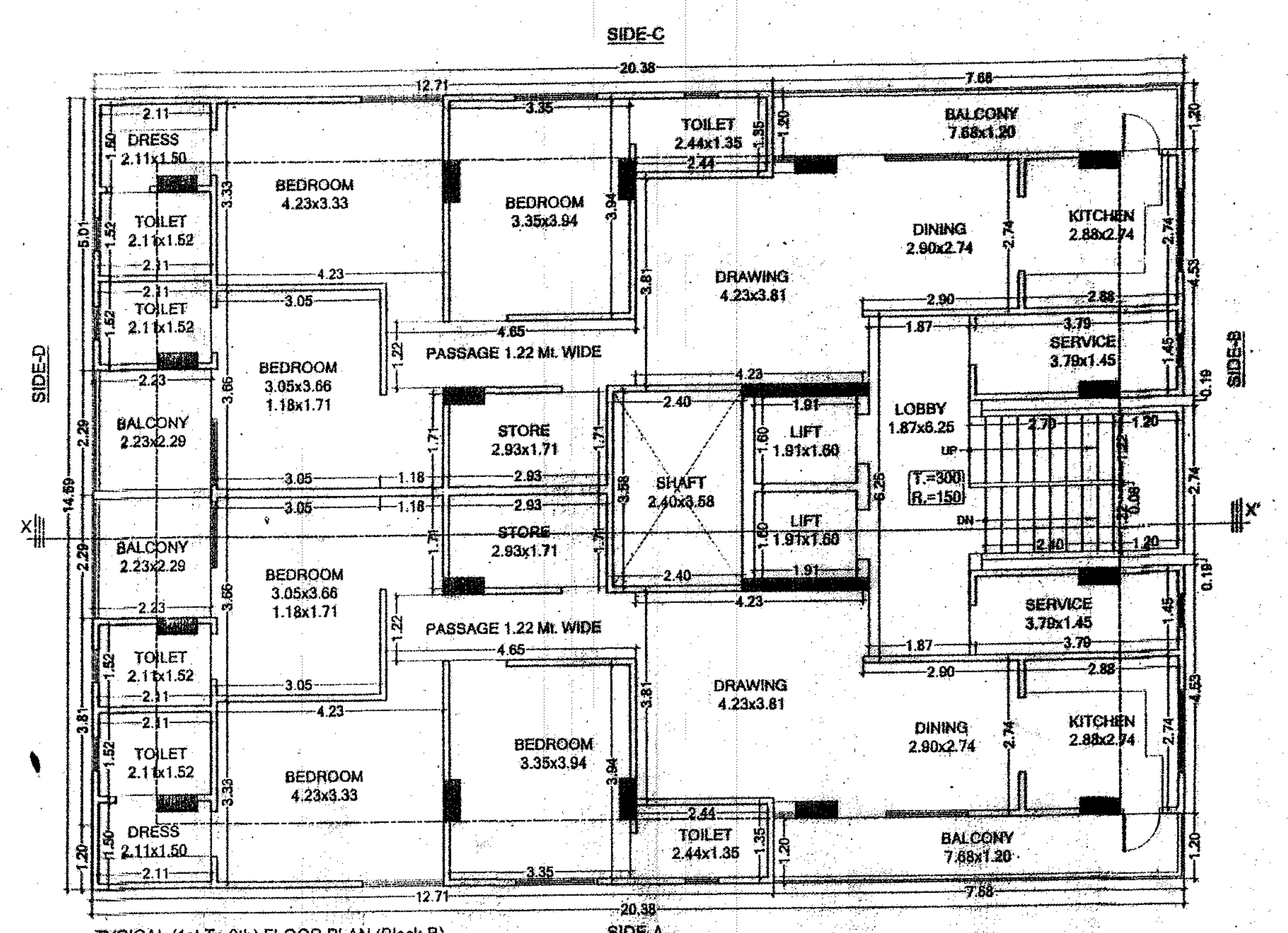

TYPICAL (1st To 9th) FLOOR PLAN (Block-B)

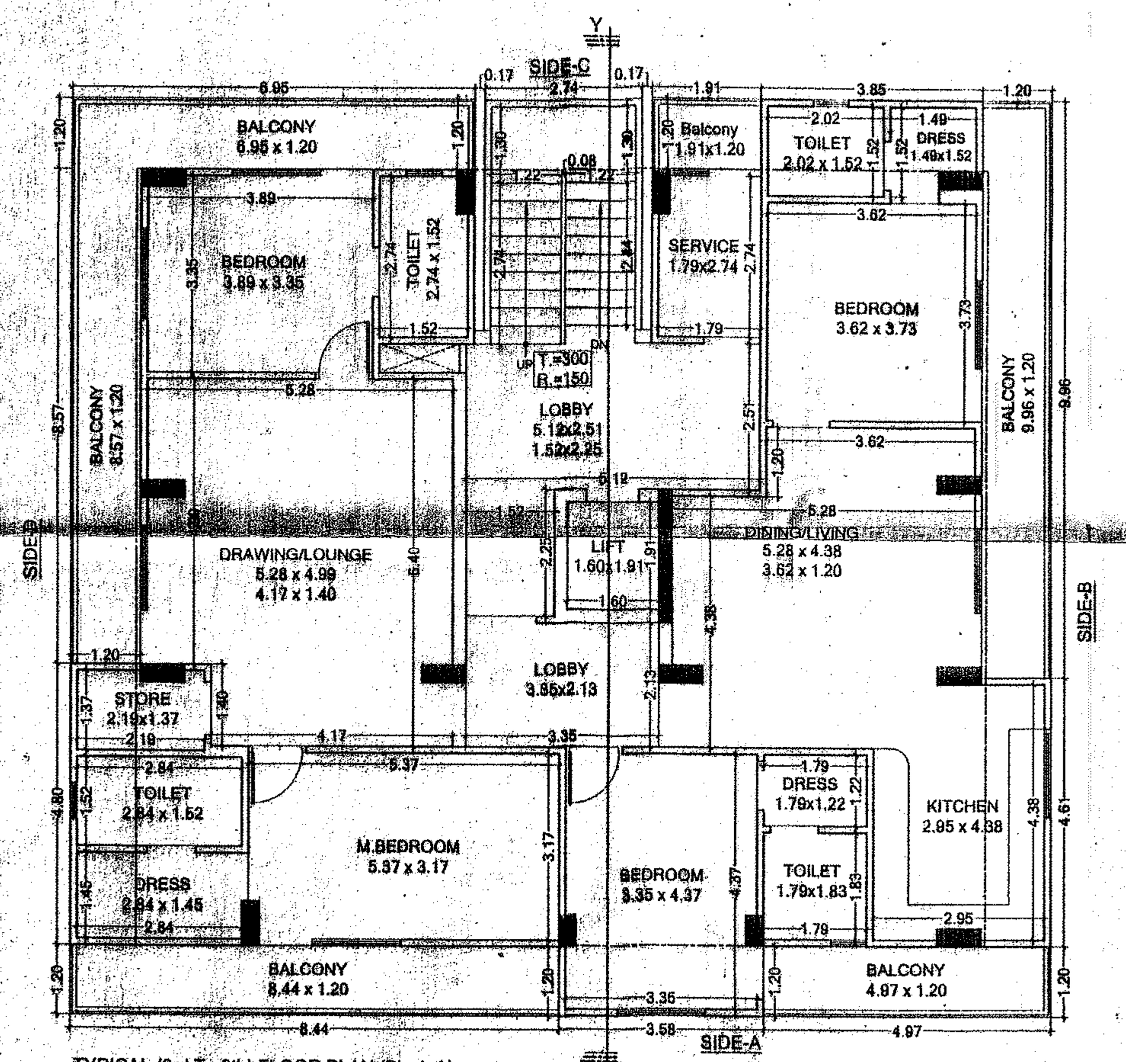

TYPICAL (3rd To 9th) FLOOR PLAN (Block-A)

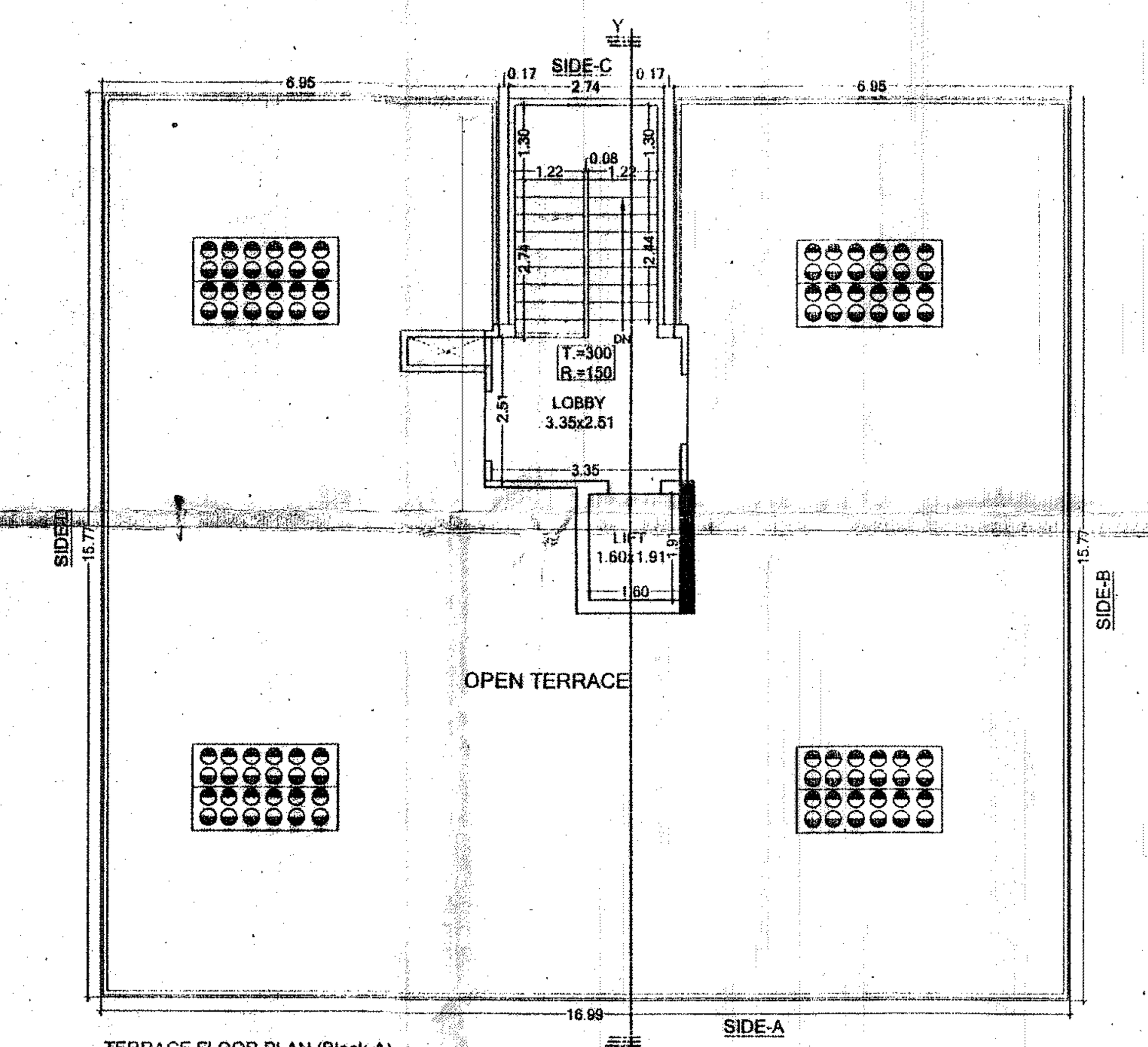

TERRACE FLOOR PLAN (Block-A)

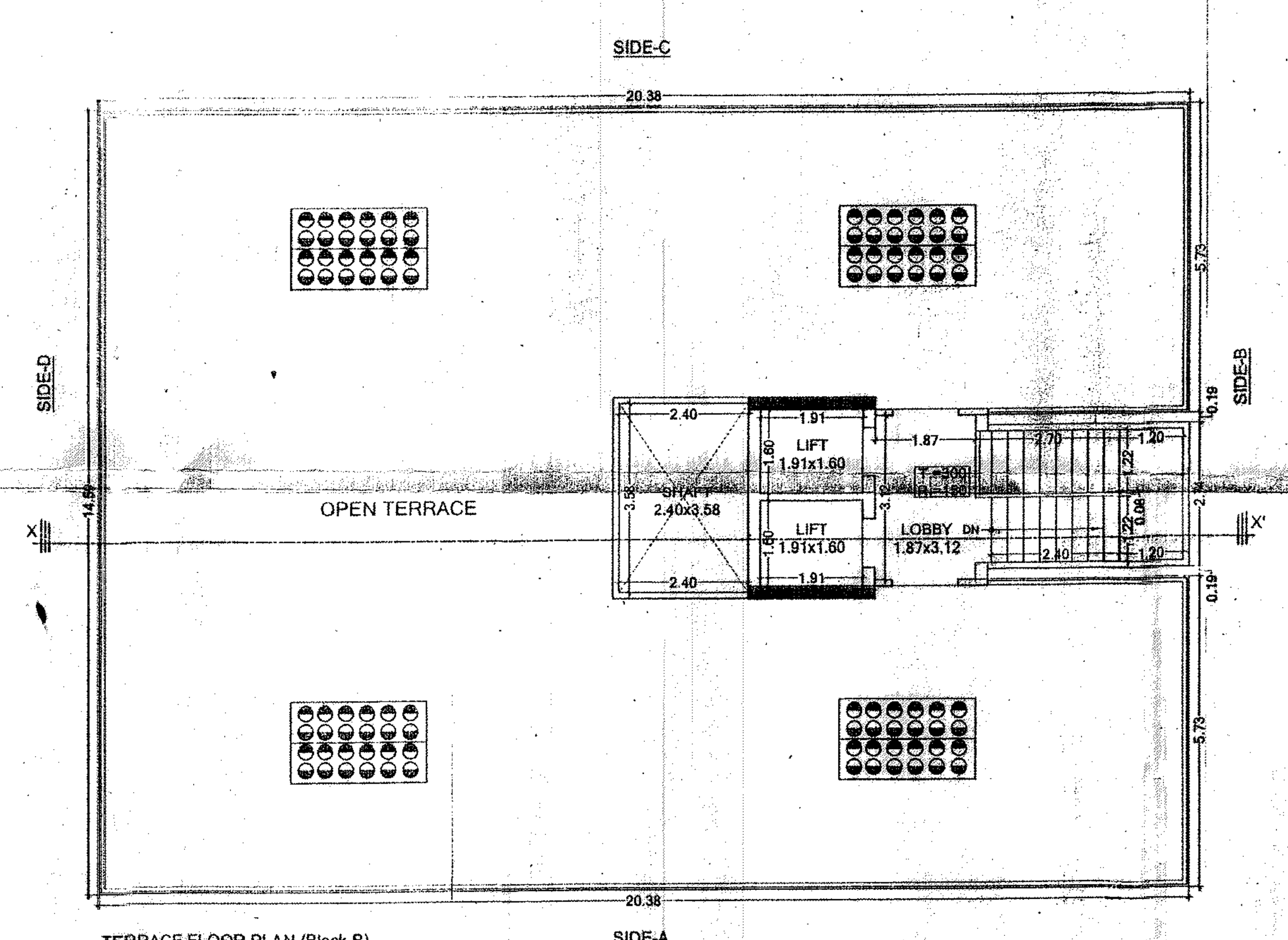

TERRACE FLOOR PLAN (Block-B)

SHEET NO. - 05

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
Typical (1st To 9th) & Terrace Floor Plan (Block-A & B)

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ...181.....वीं बैठक दिनांक 27/7/2016 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-1668 दिनांक 22/7/2016 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुमोदित

उप नगर नियोजक (बी0 पी0 सी0)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सदस्य सचिव (बी0 पी0 सी0)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

TITLE:- SUBMISSION DRAWING
Typical (1st To 9th) & Terrace Floor Plan (Block-A & B)

DATE :- 21-07-2016	NORTH:-
SCALE :- 1 = 100	
DEALT :- L.C.SHARMA	

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT OF PLOT No.- 41, 42, 43, 46 & 47
MAHARAJGOPALPURA, AT JAIPUR (Scheme No. 8)

ARCHITECTS:-

Suresh Chandar Khajja
Architect
CA/2013/58772

OWNER | ARCHITECTS

SHEET NO. -06

SUBMISSION DRAWING

TERRACE FLOOR PLAN

...(बी.पी.) की ..170..... बैठक दिनांक 13/2/2015 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक ज.वि.प्रा./स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-1003 दिनांक 30/4/15 .... द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

उप नगर नियोजक (बी0पी0सी0) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

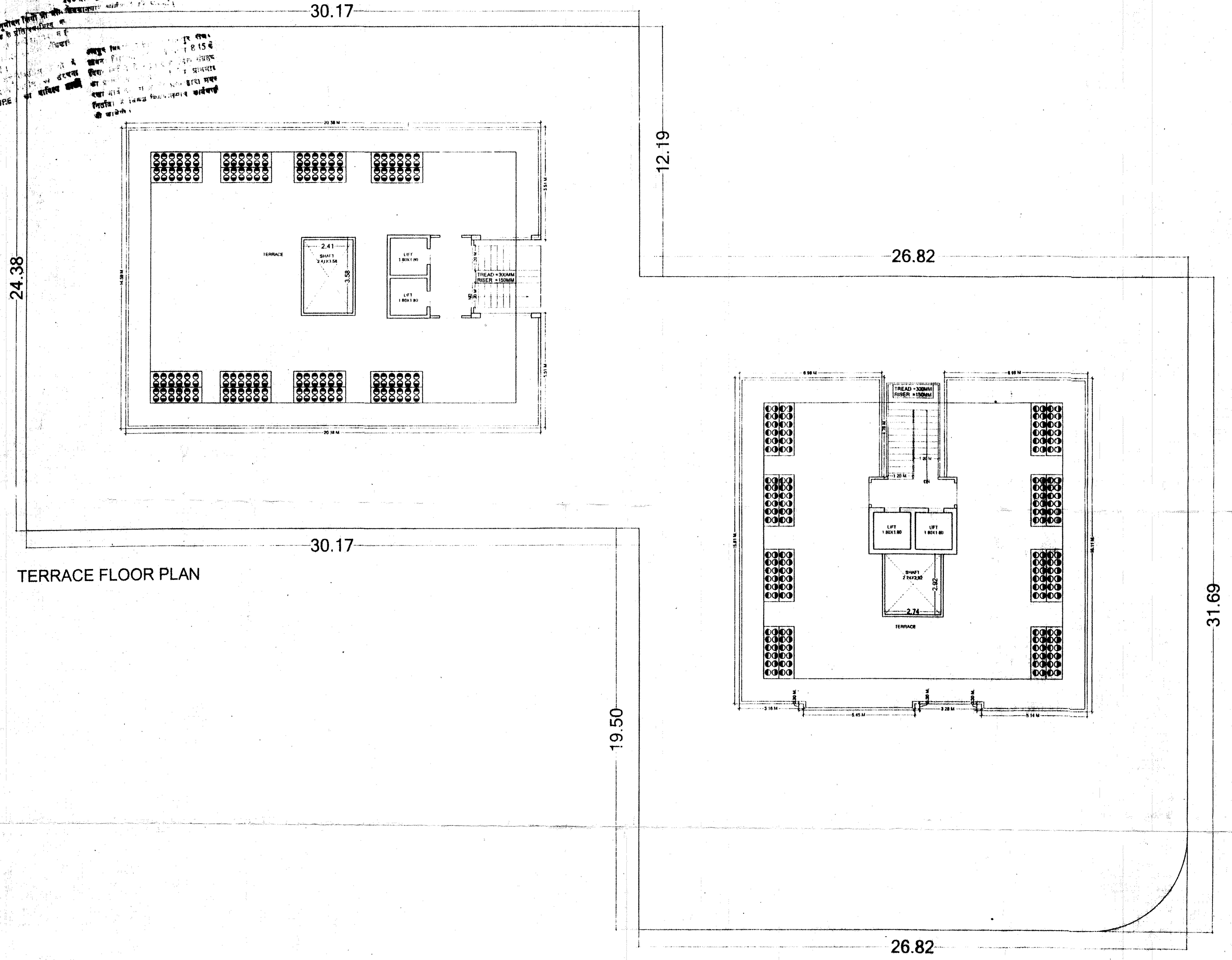

TERRACE FLOOR PLAN

TITLE:-

SUBMISSION DRAWING

TERRACE FLOOR PLAN

DATE :-

NORTH:- N

SCALE :- 1 = 100

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENCE BUILDING AT PLOT NO.41,41,43,45 & 46, RAJGOPALPURA AT JAIPUR

ARCHITECTS:-

Sunil Suresh Chandar Khajja
Architect
CA/2013/58772

OWNER ARCHITECTS

Mahesh gupta

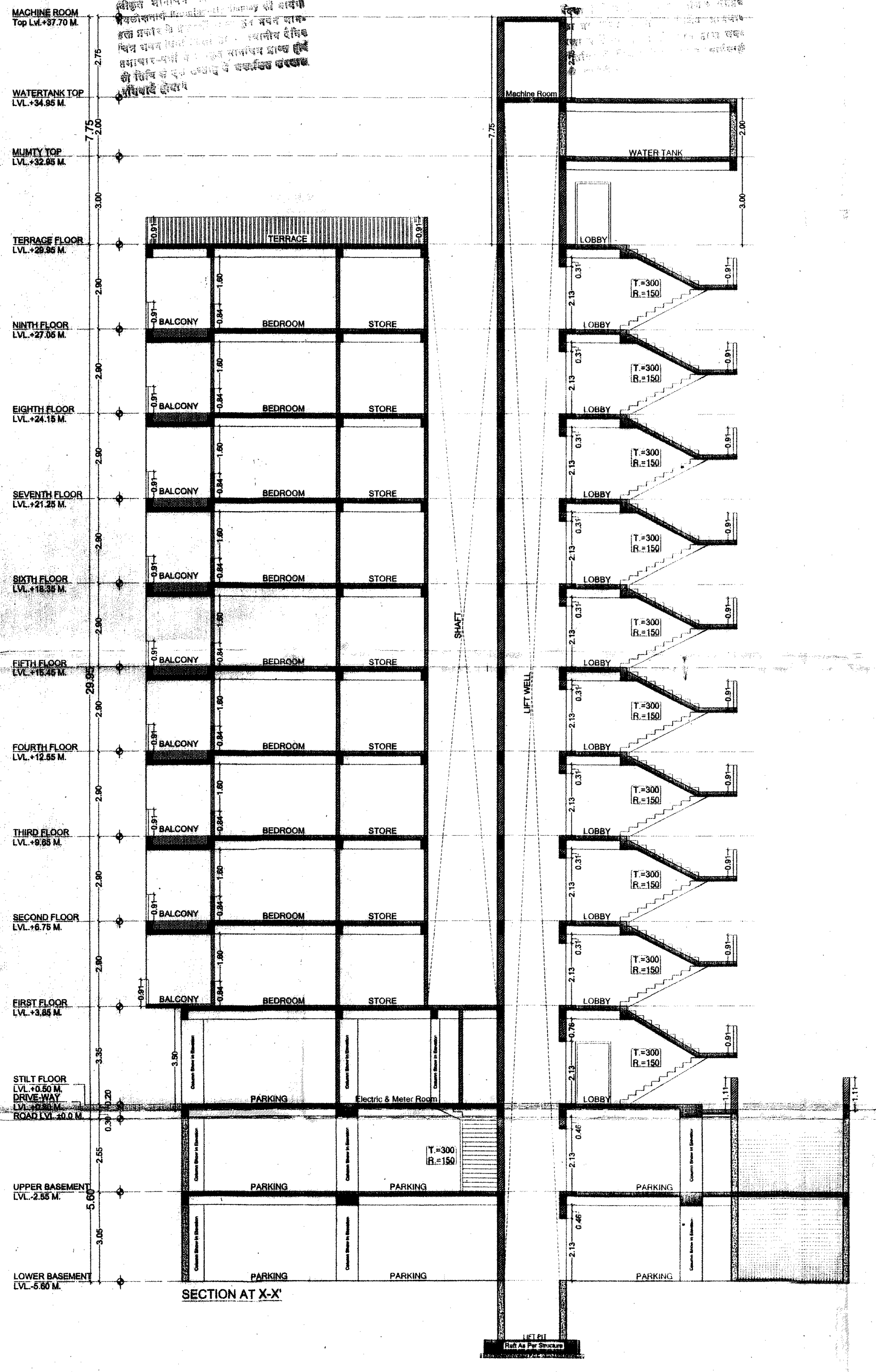

SECTION AT X-X'

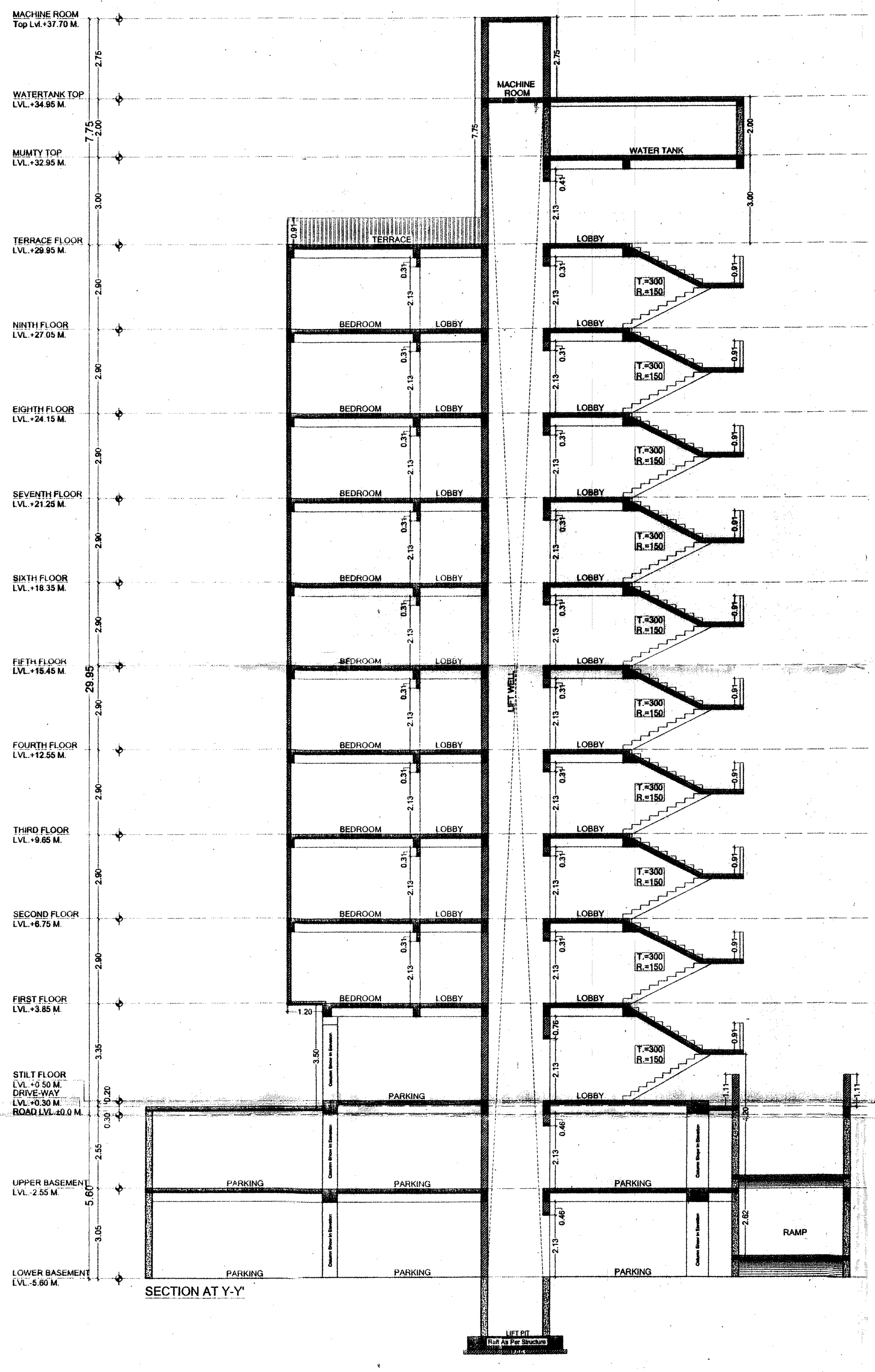

SECTION AT Y-Y'

Applicant should ... construction checked at plinth level before proceeding for further construction

SHEET NO. - 06

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
SECTIONS

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ...181....वीं बैठक दिनांक 27/7/2016 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/ स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-1668 दिनांक .... 22/7/2016 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुमोदित

उप नगर नियोजक (बी0 पी0 सी0)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सदस्य सचिव (बी0 पी0 सी0)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
SECTIONS

DATE :- 21-07-2016	NORTH:-
SCALE :- 1 = 100	
DEALT :- L.C.SHARMA	

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
OF PLOT No.- 41, 42, 43, 46 & 47
MAHA RAJGOPALPURA, AT JAIPUR
(Scheme No. 8)

ARCHITECTS:-

Sunil Suresh Chandar Khajja
Architect
CA/2013/58772

OWNER | ARCHITECTS

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ....181....वीं
बैठक दिनांक 27/4/2016 में लिये गये निर्णय
की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/
स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-1668 दिनांक......
22/7/2016 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये

SHEET NO. - 07

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
ELEVATIONS (BLOCK-A)

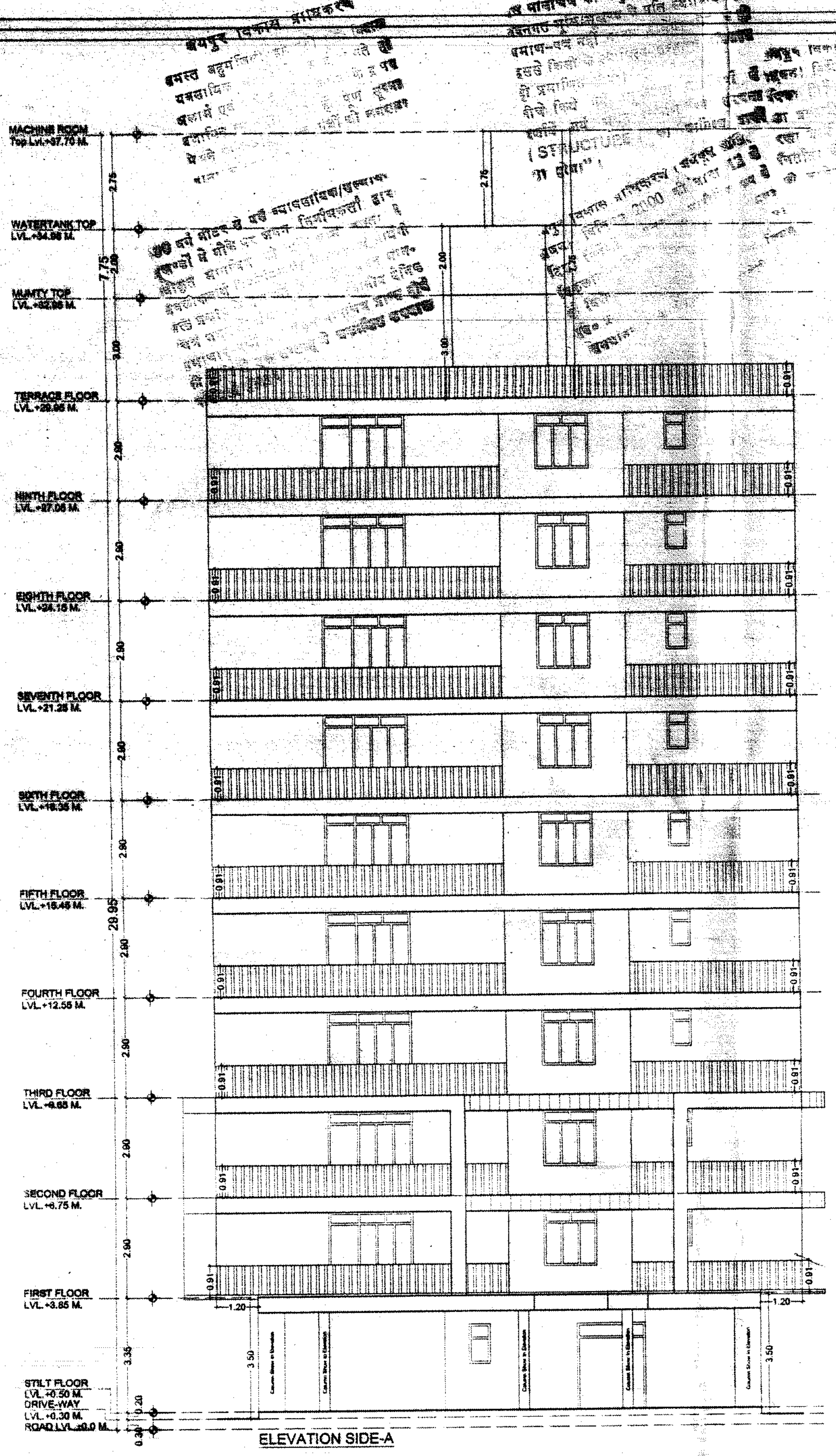

ELEVATION SIDE-A

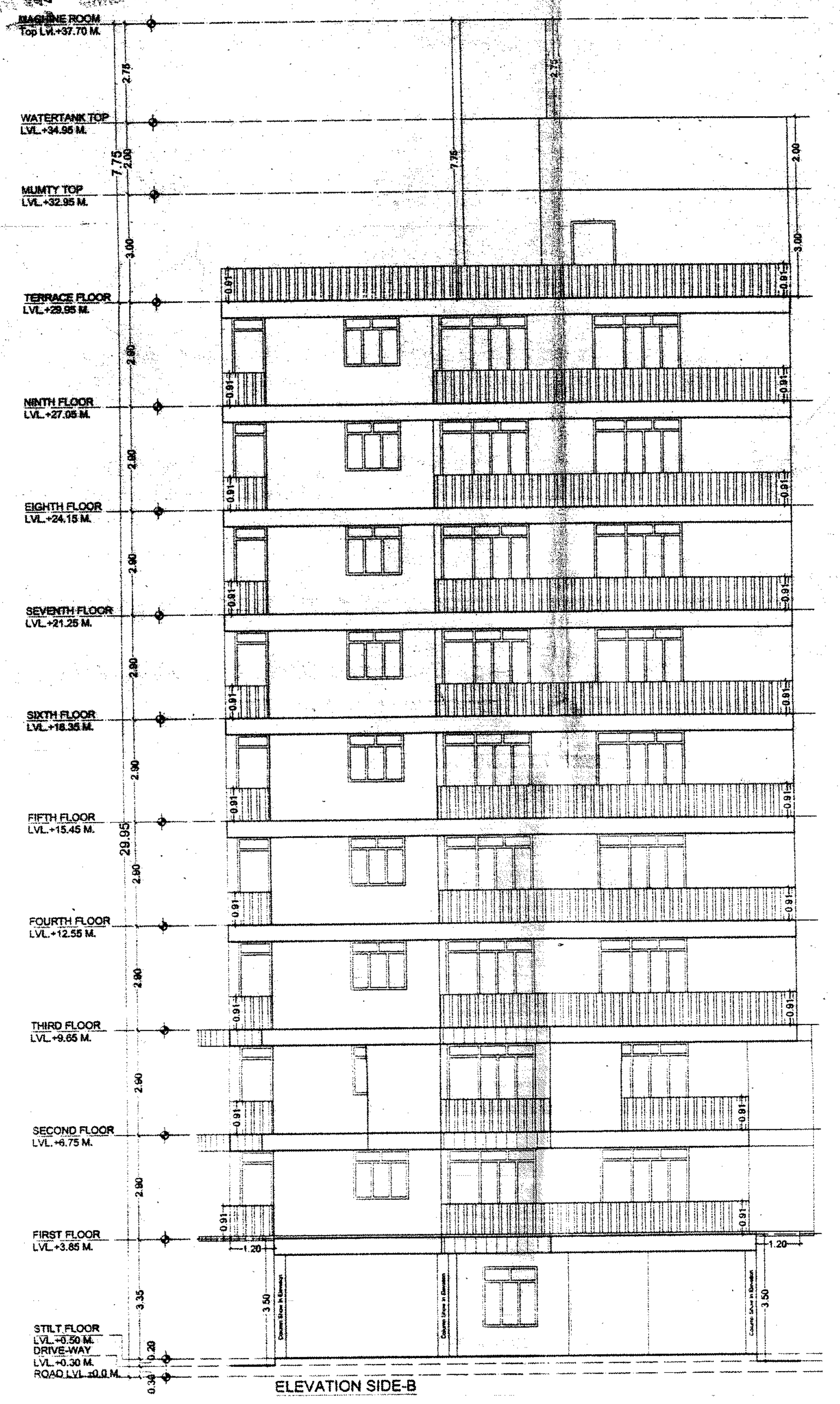

ELEVATION SIDE-B

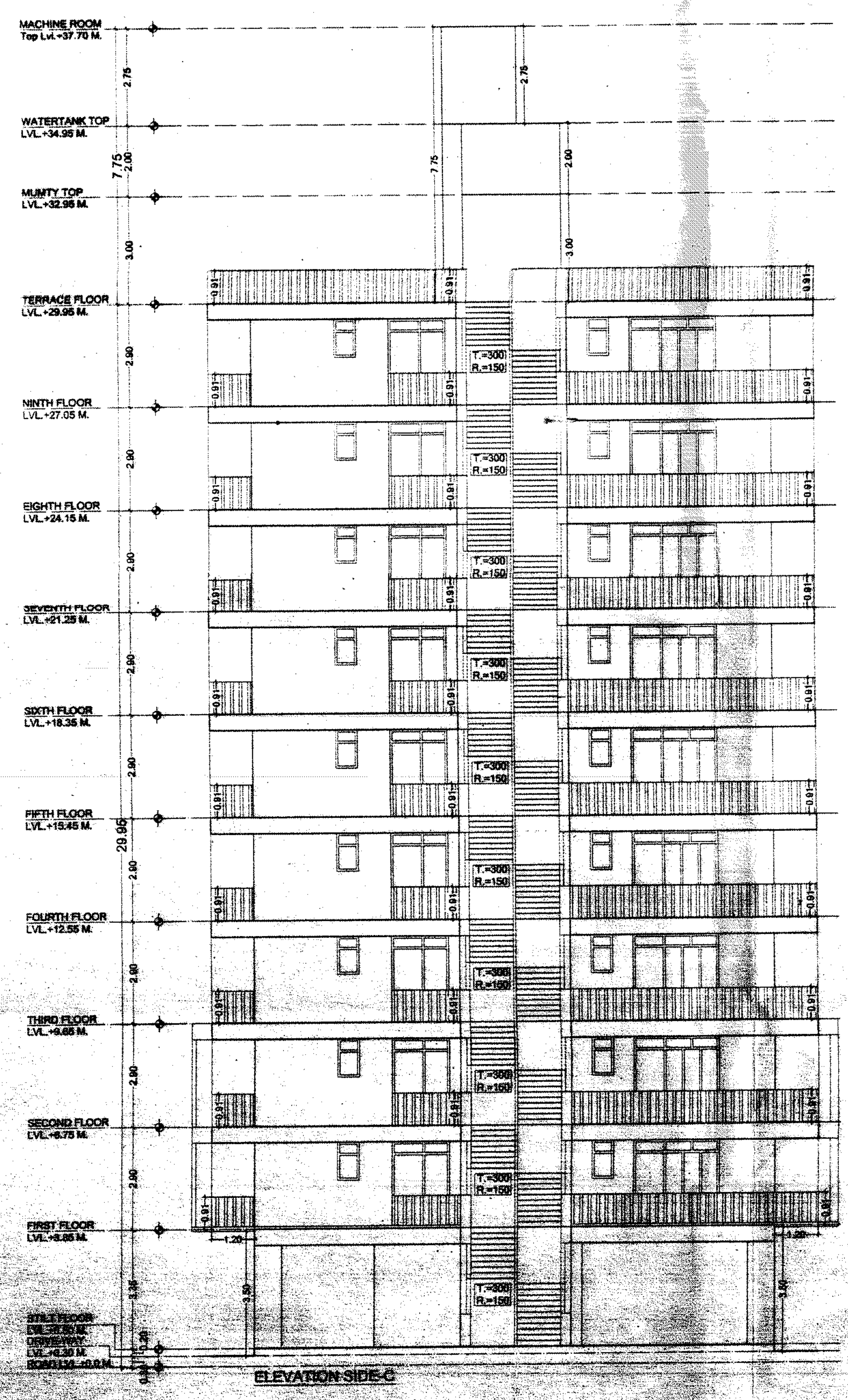

ELEVATION SIDE-C

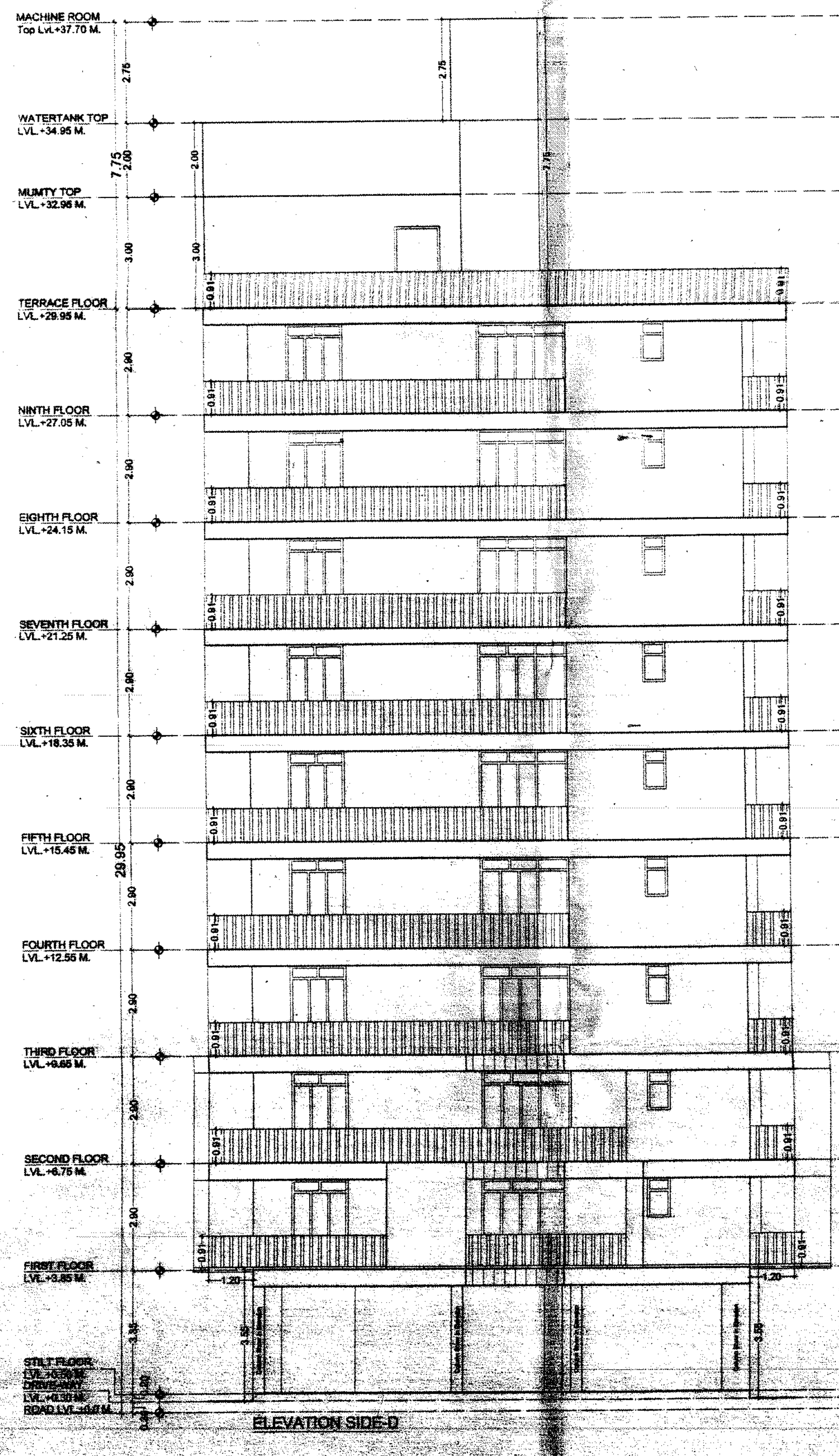

ELEVATION SIDE-D

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
ELEVATIONS (BLOCK-A)

DATE :- 21-07-2016	NORTH:-
SCALE :- 1 = 150	
DEALT :- L.C.SHARMA	

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
OF PLOT No.- 41, 42, 43, 45 & 46, 47
RAJGOPALPURA, AT JAIPUR
(Scheme ...)

ARCHITECTS:-

उप नगर नियोजक (बी0 पी0 सी0)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सदस्य सचिव (बी0 पी0 सी0)
जयपुर विकास प्राधिकरण

Sunil Suresh Chand
CA/2013/58772

OWNER | ARCHITECTS

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ..181.....वीं बैठक दिनांक 27/4/2016 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-1668 दिनांक 22/7/2016 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

SHEET NO. - 08

TITLE:- SUBMISSION DRAWING

ELEVATIONS (BLOCK-B)

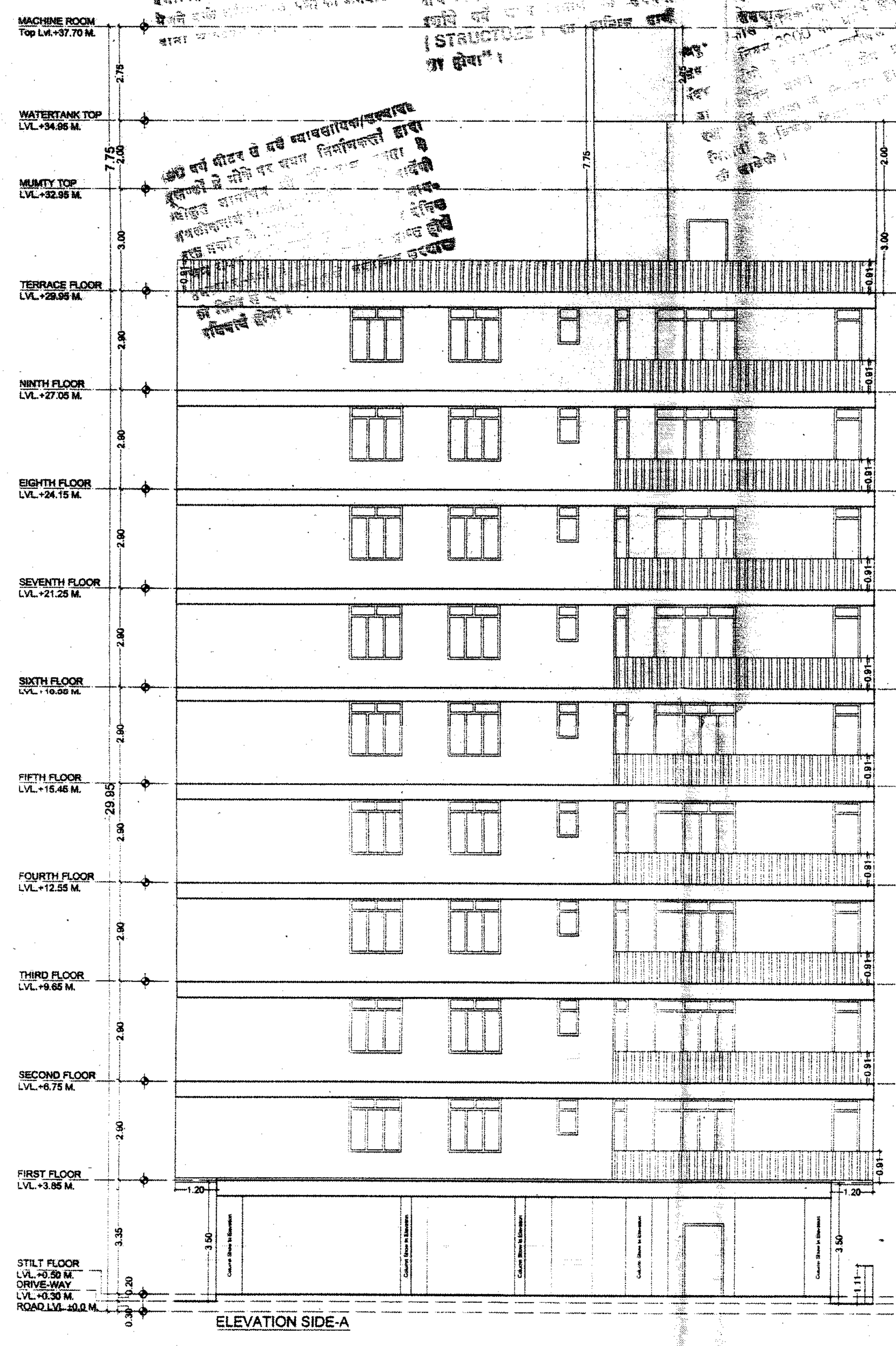

ELEVATION SIDE-A

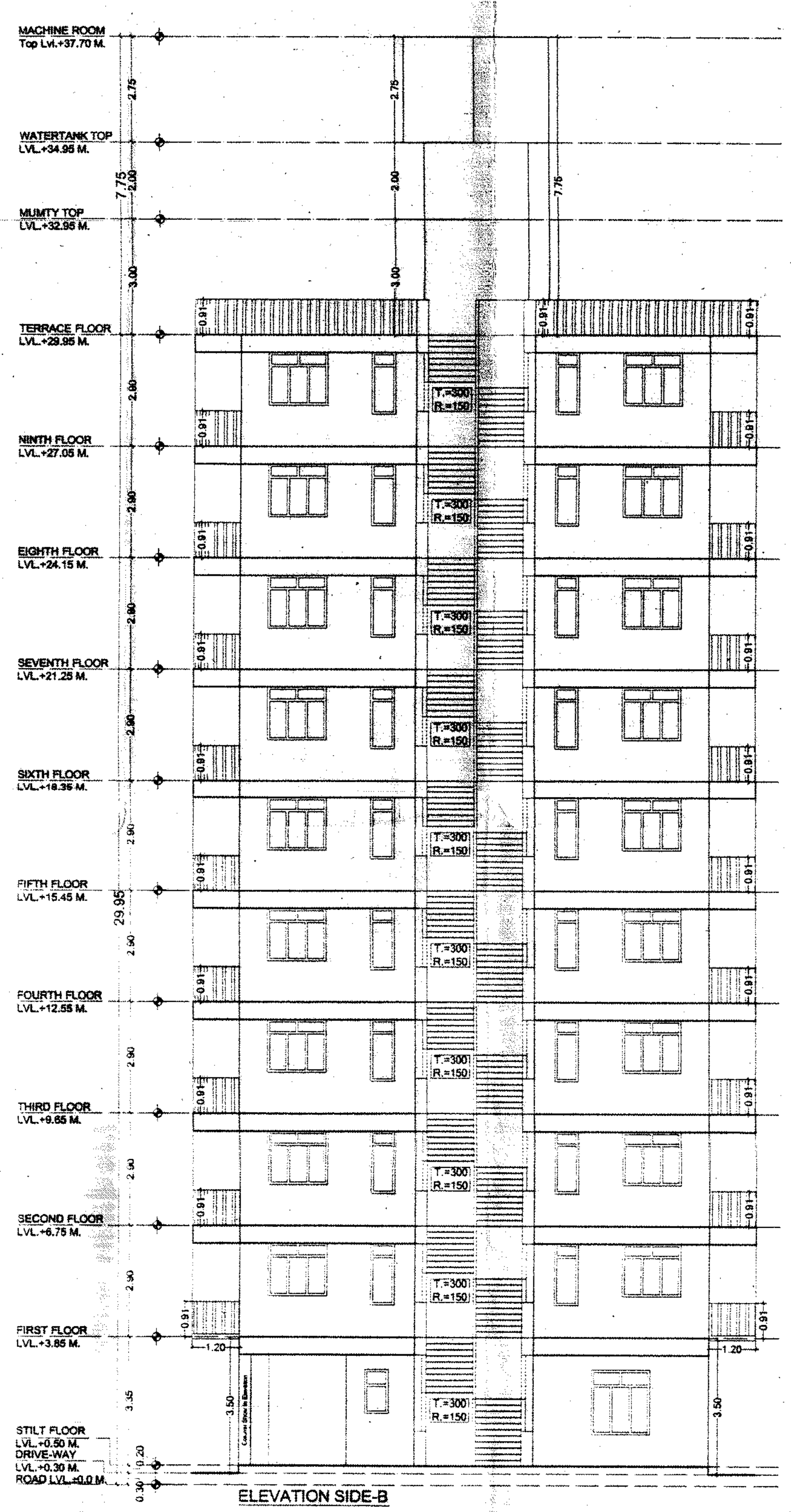

ELEVATION SIDE-B

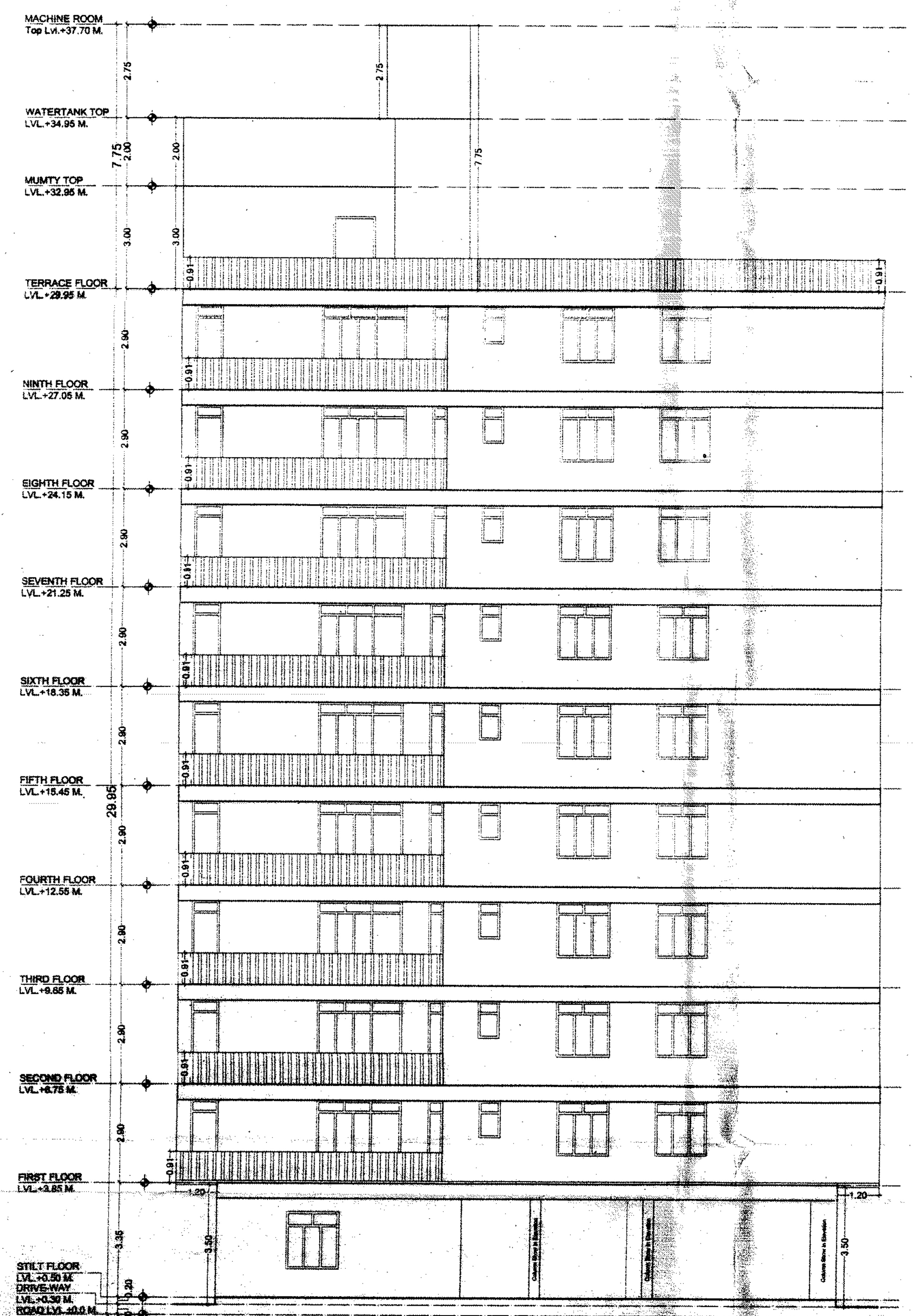

ELEVATION SIDE-C

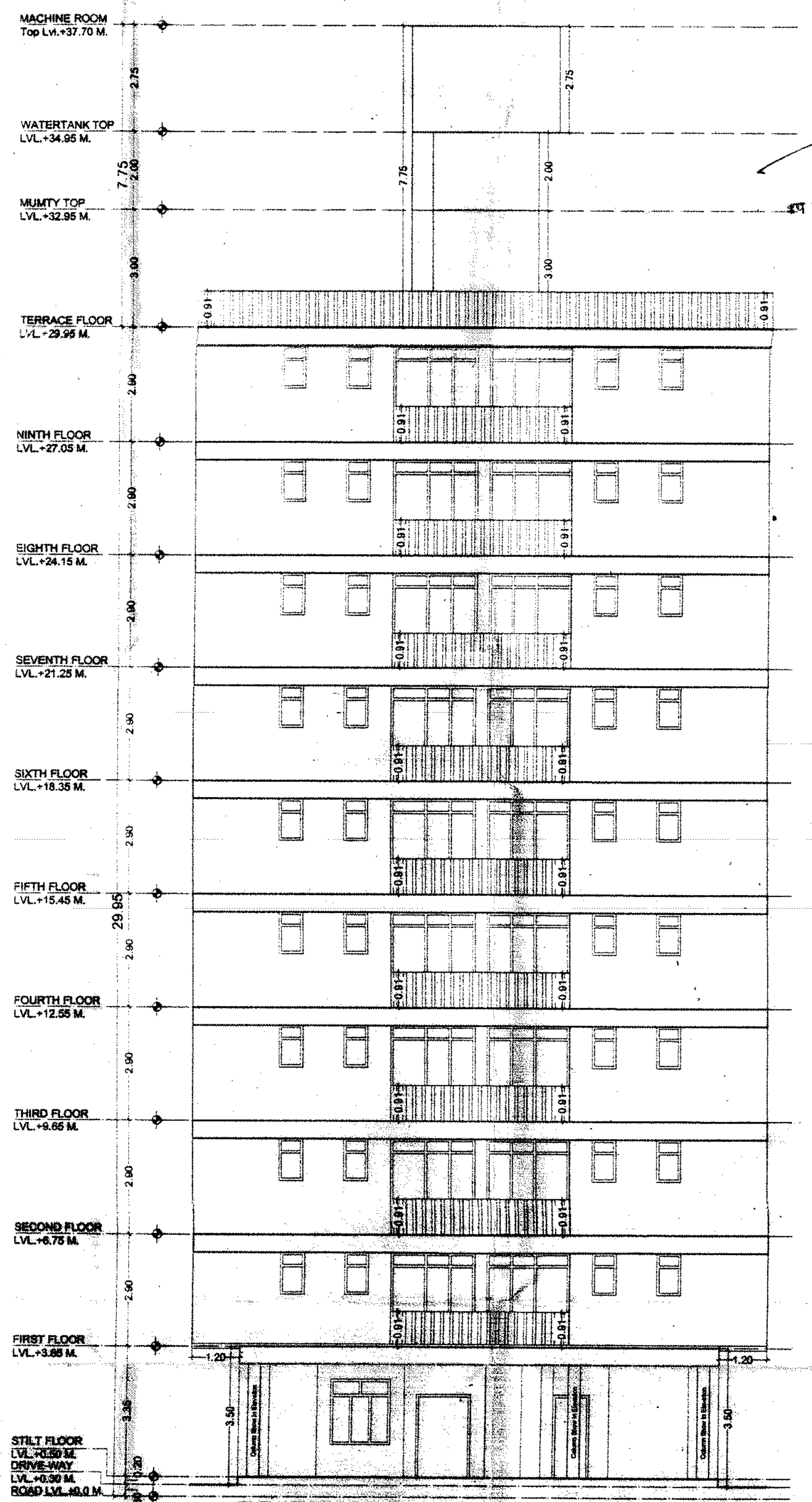

ELEVATION SIDE-D

TITLE:- SUBMISSION DRAWING

ELEVATIONS (BLOCK-B)

DATE :- 21-07-2016

NORTH:-

SCALE :- 1 = 150

DEALT :- L.C.SHARMA

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT OF PLOT No.- 41, 42, 43, 45 & 46,47 MAHARAJGOPALPURA, AT JAIPUR (Scheme No. 8)

ARCHITECTS:-

OWNER

Sunil Suresh Chandar Khajja
Architect
CA/2013/58772

ARCHITECTS